



समाहरणालय अररिया

(जिला कल्याण कार्यालय)

दूरभाष - 9534275288 (मो०)

Email ID. dwo-ara-bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सं०-०२/२०२०-२१

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, रामपुर, फारबिसगंज में सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने हेतु वित्तीय वर्ष- 2021- 22 के लिए इच्छुक एन०जी०ओ०/ स्वयंसेवी संस्थानों से जिला कल्याण कार्यालय, अररिया सीलबंद लिफाफे में दिनांक-25.01.2021 तक जिला कल्याण कार्यालय, अररिया में 11.00.बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त की जायेगी। उसी दिन दिनांक- 25.01.2021 को 3.00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, अररिया के समक्ष निविदा खोली जायेगी। सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक परिश्रमिक भुगतान किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत है :-


1. निविदा की शर्तें :-

- (क) इच्छुक निविदादाताओं को अग्रधन के रूप में मो०-25000.00(पचीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया के पक्ष में भुगतान होगा।
- (ख) श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस संलग्न करना होगा।
- (ग) संबंधित निविदादाताओं को जी०एस०टी० में निबंधन प्रमाण पत्र एवं दो वर्ष का GST Return अद्यतन रिटर्न का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) निविदादाताओं को दो वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
- (ङ) निविदादाताओं को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (च) निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
- (छ) निविदादाताओं के द्वारा NGO, स्वयंसेवी संस्था/ प्रोपार्टर शीप/ प्राइवेट लिमिटेड आदि का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ज) आउटसोर्सिंग के लिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2. निविदा की शर्तें :-

- (क) सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मी हेतु संबंधित ए०जी०ओ०/ स्वयंसेवी संस्था/ प्रोपार्टर शीप/ प्राइवेट लिमिटेड/ ट्रस्ट को गृह विभाग, बिहार सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त होना चाहिए।
- (ख) किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल कर पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
- (ग) स्वीकृति निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

उपर्युक्त निविदा Two Bid System पर आधारित होगा। इच्छुक एन०जी०ओ०/ फर्म/ आपूर्तिकर्ता को लिफाफे को एक लिफाफे के अंदर डालकर सील कर इसे अधिसूचित पते पर निबंधित डाक/ हाथो-हाथ डालेंगे। प्रकाशित निविदा की शर्तों में परिवर्तन करने एवं निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी के लिए अररिया जिला पर www.araria.bih.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।


25.12.2020
उप विकास आयुक्त,
अररिया।